घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 282- बुधवार 12- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संसद परिसर में एनडीए-कांग्रेस सांसद आमने-सामने आए

बीजेपी सांसद ने पूछा-राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, प्रियंका बोलीं-वे छात्रों से मिल चुके

नई दिल्ली,11 अगस्त 2026। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गईं और कहा- राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही पहले 11 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 2 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है। तीन हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे के कारण प्रभावित रही है। विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा है। सरकार ने सोमवार को कहा कि अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि, राहुल ने कहा कि हमें शाह की राय नहीं सुननी बल्कि यह जानना है कि छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश किसने दिया था।

राष्ट्रपति मुर्मू ने वंदे मातरम् बिल को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 'वंदे मातरम्' बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया था। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी सुरक्षा मिल गई है। यह कानून 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से रोकने वाले कानून में संशोधन करता है। इसके तहत 'वंदे मातरम्' के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, किसी सभा को इसे गाने से रोकना या इसका कानून के दायरे में आने वाला अपमान करना अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दूसरे या बाद के दोषसिद्ध मामलों में कम से कम एक साल की जेल का प्रावधान भी है।

हंगामे के बीच लोकसभा में 2 बिल पास : विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े दो बिल बिना चर्चा के पास कर दिए। लोकसभा अब तक 11 बिल पास कर चुकी है, जिनमें सिर्फ 2 पर चर्चा हुई है।

सरकार सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर चर्चा के लिए तैयार : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, सरकार गृह मंत्री के बयान और सुरक्षाबलों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं खनिज, खदान और ट्रिब्यूनल से जुड़े तीन बिलों पर चर्चा के लिए 2-3 घंटे का समय तय किया गया है।

केरल का नाम केरलम किए जाने वाला विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा में मंगलवार को केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' किए जाने से जुड़ा विधेयक शोर-शराबे के बीच बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज सदन में शोर-शराबे के बीच केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 चर्चा हेतु पेश किया और संक्षिप्त में जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक के पारित किए जाने के कुछ कांग्रेस सांसदों ने विरोध किया है। दूसरी संसदीय कार्यमंत्री ने किरेन रिजिजू ने विधेयक पारित होने के बाद दुख जताया कि विधेयक पर वरिष्ठ सदस्य केसी वेणुगोपाल को बोलने का अवसर नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में पिछले दो सप्ताह से जारी व्यवधान आज भी जारी रहा। शोर-शराबे बीच सरकार लगातार दोनों सदनों में कुछ आवश्यक विधायी कार्य पूरा करा रही है। इसी क्रम में आज केरल राज्य का नाम बदले जाने से जुड़ा विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। मलयालम भाषा में राज्य को पारंपरिक रूप से 'केरलम' ही कहा जाता है। विधेयक इसी सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक दर्जा देने के लिए लाया गया है। इसके तहत भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। नाम परिवर्तन के साथ-साथ राज्य से संबंधित अन्य संवैधानिक तथा प्रशासनिक दस्तावेजों में आवश्यक परिणामी संशोधन भी शामिल होंगे। केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था।

अमेरिकी अदालत ने अदाणी के खिलाफ आपराधिक केस किया खारिज....

नई दिल्ली,11 अगस्त 2026। उद्योगपति गौतम अदाणी को अमेरिका में चल रहे आपराधिक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध के बाद अदाणी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। मामले में अदाणी और अन्य आरोपियों पर रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी से जुड़े आरोप लगाए गए थे, हालांकि अदाणी और अदाणी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया था। अमेरिकी जिला जज निकोलस गरॉफिस ने मामले को समाप्त करने की अनुमति दी, लेकिन अपने फैसले में अमेरिकी न्याय विभाग के मामले वापस लेने के तरीके पर गंभीर सवाल भी उठाए। अदालत की यह टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम को महज एक कानूनी राहत से आगे महत्वपूर्ण बना देती है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद पीछे हटने का फैसला किया

गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामला अमेरिका में लंबे समय से चल रहा था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पहले मामले को आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में न्याय विभाग ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया। न्याय विभाग ने कहा कि उसने मामले की समीक्षा करने के बाद अपनी अभियोजन संबंधी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इन आपराधिक आरोपों पर आगे संसाधन खर्च नहीं करने का फैसला किया है। अदालत ने अंततः इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद इस आपराधिक अभियोग के तहत अदाणी के खिलाफ वही आरोप दोबारा चलाए जाने का रास्ता बंद हो गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने नवंबर 2024 में गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और अन्य लोगों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी तथा निवेशकों को गुमराह करने से जुड़े आरोप लगाए थे। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि भारत में सौर ऊर्जा से जुड़े ठेकों को हासिल करने के लिए कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई गई।

राजग की 'मंगल मिलन' बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लहराया तिरंगा

नई दिल्ली,11 अगस्त 2026। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत राजग के कई सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह समेत राजग नेताओं ने तिरंगा लहराया। बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम्' के नारों के साथ हुई। विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके जवाब में राजग की ओर से विपक्ष पर राजनीतिक पलटवार की तैयारी की गई है। बैठक से बाहर निकलते समय राजग नेताओं के हाथों में पोस्टर लेकर संदेश दिया जिसमें लिखा है– 'गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष भाग रहा है। '

स्वतंत्रता समारोह : लाल किले की प्राचीर से पहली बार गूंजेगा 'वंदे मातरम'

युवाशक्ति पर रहेगा विशेष फोकस

नई दिल्ली,11 अगस्त 2026। देश 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करते हुए पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर 'वंदे मातरम्' का गायन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह में 'युवा शक्ति' को विशेष सम्मान दिया जाएगा और विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले को विशेष तौर पर फूलों से सजाया जाएगा। लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर 2,500 एनसीसी कैडेट और 'माई भारत' स्वयंसेवक 'वंदे मातरम्' की आकृति बनाएंगे। भारतीय वायु सेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने का बैनर लेकर उड़ान भरेगा और लाल किले पर मौजूद लोगों पर पुष्पवर्षा करेगा।

15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट

19 वांछित आतंकियों के पोस्टर से मचा हड़कंप

नई दिल्ली,11 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले संभावित आतंकी खतरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में हाई अलर्ट जारी किया है। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, रेलवे पुलिस और विभिन्न जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अन्य सुरक्षा इकाइयों को भी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों में 19 वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा और विभिन्न खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े आरोपियों की तस्वीरें शामिल हैं। पुलिस का उद्देश्य आम लोगों को ऐसे संदिग्ध और वांटेड व्यक्तियों के बारे में जागरूक करना है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सके। पुलिस की ओर से लगाए गए पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े रियाज भटकल और शबांदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अल-कायदा से जुड़े मोहम्मद शर्जील अख्तर, अबू सुफियान, मोहम्मद उमर और सैयद मोहम्मद अर्शियान की तस्वीरें भी पोस्टरों में लगाई गई हैं।

भाजपा के झारखंड बंद का मिलाजुला असर...कई जगह बाजार बंद

स्कूल-दफ्तर खुले,विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं-पुलिस में झड़प हुई थी

रांची,11 अगस्त 2026। झारखंड के रांची में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें जाम कीं। कुछ जिलों में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते भी नजर आए। कई शहरों में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे। इधर, झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए,जबकि कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश करती रही,इसी दौरान धक्का-मुक्की और झड़प हुई। वहीं,छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल से खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने विधान सभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार शाम छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में मौन जुलूस निकाला। छात्रों ने सोमवार को झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विधानसभा घेराव के दौरान 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्रों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। वहीं, रांची पुलिस के करीब 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सरकार और छात्रों के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है।

सीएम सोरेन बोले...परजीवी की तरह जीवित है विपक्ष

वहीं, मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,'विपक्ष हल्ला करता रहेगा,हम अपना काम करते जाएंगे। सरकार छात्रों के हित में फैसले ले रही है।' सीएम सोरेन ने कहा- परजीवी भाजपा ने कल भी युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। छात्रों की बात...छात्रों के साथ होगी और झारखंड के मेरे युवा साथियों को न्याय मिलकर रहेगा। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा,पिछले दो-चार दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उसे देखकर हमें लगता है कि अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन कभी-कभी वे अलग-अलग तरीकों की आड़ में छिपकर बैठे रहते हैं और अलग-अलग स्रोतों के सहारे खुद को जीवित रखते हैं,ठीक वैसे ही जैसे कोई परजीवी जीवित रहता है।

दीपके बोले...हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं...

झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा...'जब राजनीतिक पार्टियां विरोध-प्रदर्शन करती हैं, तो आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ़ छात्रों के खिलाफ़ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने देवेंद्र महतो से बात की,जिन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वे पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर थे। देश की सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि छात्रों पर जुल्म करके उन्हें क्या हासिल हो रहा है ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। हमने देवेंद्र महतो को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। झारखंड में हमारी टीम छात्रों के साथ मिलकर काम कर रही है।'

मंत्री इरफान बोले...भाजपा को युवाओं से मतलब नहीं...

झारखंड मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, 'भाजपा का चाल-चरित्र सामने आ गया है, युवाओं के प्रति इनकी कोई भावना नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि आप लोगों ने कहा कि हमारे धरना को भाजपा के लोगों ने दबाने का काम किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार युवाओं के साथ है, हम उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सबको हक है।

शराब घोटाला : ईडी ने कांग्रेस नेता रामगोपाल को किया अरेस्ट

5 दिनों की रिमांड मिली,भूपेश बोले-परेशान और बदनाम करने की जा रही कार्रवाई

रायपुर,11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। 17 अगस्त को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज कोर्ट पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि केवल परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जांच एंजेंसियों के पास नकली गवाह है, कोई सबूत नहीं है। बता दें कि इससे पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी, अब ईडी आगे की पूछताछ करेगी।

रामगोपाल अग्रवाल पर क्या हैं आरोप

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के मुताबिक, आरोप है कि शराब घोटाला,कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों को ठिकाने लगाने में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका थी। इसी वजह से एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

8 जुलाई को किया था सरेंडर : कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल करीब तीन साल तक फरार रहे। 8 जुलाई को उन्होंने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कर उन्हें अदालत में पेश किया गया,जहां से 9 जुलाई को 17 जुलाई तक की पुलिस रिमांड मंजूर की गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 5 अगस्त तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया गया था।

रामगोपाल अग्रवाल से 2 बार मिले भूपेश बघेल : 25 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई सीनियर नेताओं ने रामगोपाल अग्रवाल के जेल भेजे जाने से पहले उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पार्टी को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। 11 अगस्त को दूसरी बार कोर्ट पहुंचकर भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की।

3400 करोड़ के शराब घोटाले की जांच

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में जांच एजेंसियां कथित तौर पर सरकारी शराब कारोबार में अनियमितताओं, अवैध वसूली और पैसों के लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं। एजेंसियों का आरोप है कि शराब कारोबार में एक संगठित नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम का लेन-देन हुआ। ईडी इस मामले में पहले भी कई लोगों से पूछताछ और कार्रवाई कर चुकी है। अब रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। अदालत में पेशी के दौरान ईडी उनकी रिमांड की मांग कर सकती है, जिसके बाद पूछताछ में मामले से जुड़े नए नाम और लेन-देन सामने आने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का बढ़ेगा दायरा

अब 40+ अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

रायपुर,11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। अब महतारी वंदन योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सर्वे शुरू कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर जिलों में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में महिलाओं की संख्या और पात्रता से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। वर्तमान में योजना के तहत सिर्फ पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। अब विस्तार के बाद 40+ उम्र की अविवाहित महिलाएं भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर लाभार्थी सूची में जुड़ेंगी। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की संख्या 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया है कि योजना का दायरा बढ़ाने के बाद अविवाहित महिलाओं के लिए अलग से पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल खुलते ही पात्र महिलाएं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी। हालांकि अविवाहित महिलाओं के लिए अंतिम पात्रता शर्तें और जरूरी दस्तावेज अभी सरकार द्वारा तय किए जाने बाकी हैं। विभागीय स्तर पर आंकड़े मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया जारी की जाएगी।

सीएम साय पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला...बोले- आदिवासी दिवस पर बधाई तक नहीं दे पाए,कार्यक्रम भी हुआ था रद्द

रायपुर,11 अगस्त 2026। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने दुनिया भर के आदिवासी समाज को एक ट्वीट तक कर बधाई नहीं दी। बघेल ने कहा कि देश की राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोनों आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसे में आदिवासी दिवस पर बधाई नहीं देना दुर्भाग्यजनक है। भौगोलिकसंदर्भ भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय विश्व आदिवासी दिवस बड़े स्तर पर और धूमधाम से मनाया जाता था। बघेल ने कहा कि मौजूदा सरकार के सामने अब घोषित अवकाश को निरस्त करने की हिम्मत नहीं है। बघेल ने पिछले साल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री का इंडोर स्टेडियम जाने का कार्यक्रम तय था और उसका प्रोटोकॉल भी जारी हो चुका था।

गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ की टैक्स-पेनल्टी

स्टेट जीएसटी ने दिया 90 दिन का अल्टीमेटम,कुर्क होगी संपत्ति

दुर्ग,11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य जीएसटी विभाग ने उसके खिलाफ 317 करोड़ रुपये की टैक्स और पेनल्टी की राशि तय करते हुए आदेश जारी किया है। विभाग के मुताबिक निर्धारित राशि 90 दिन के भीतर जमा करनी होगी। राशि जमा नहीं करने पर कारोबारी की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क कर बकाया रकम की वसूली की जा सकती है।

राज्य जीएसटी विभाग की जांच में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त गुटखे के कारोबार से जुड़े कई तथ्य सामने आने का दावा किया गया है। अधिकारियों के अनुसार करीब पांच साल से प्रदेशभर में नेटवर्किंग के जरिए यह कारोबार संचालित किया जा रहा था। जांच में 'सितार' नाम से गुटखा तैयार कर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आई। जीएसटी विभाग ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर करीब पांच वर्षों के कारोबार की गणना की। इसी आधार पर बकाया टैक्स और पेनल्टी की राशि निर्धारित की गई है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मामले में गुरमुख जुमनानी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। जांच के दौरान उसके तीन कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन कर्मचारियों से एफिडेविट भी लिया गया है। विभाग का कहना है कि भविष्य में यदि वे अदालत में अपने बयान से मुकरते हैं तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जांच के दौरान जीएसटी विभाग ने गुरमुख जुमनानी के मालिकाना हक वाली 12 संपत्तियों को चिन्हित किया है।

संपादकीय

छात्र हित की अनदेखी

जब किसी समस्या-शिकायत पर समय रहते सही तरह ध्यान नहीं दिया जाता,तब उसके कैसे नतीजे होते हैं,यह पहले दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान देखने को मिला और फिर रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च में। दिल्ली की तरह रांची में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा,क्योंकि भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रही थी। निःसंदेह रांची में छात्रों की भीड़ की तुलना जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में जुटी भीड़ से नहीं की जा सकती,क्योंकि दिल्ली में भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी शामिल थे। इसके बावजूद इस तथ्य को भी अनदेखा न किया जाए कि पुलिस के पास उस समय बल प्रयोग के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, जब कोई समूह किसी निषिद्ध क्षेत्र में जाने की जबरन कोशिश करता है।

समस्या यह है कि जब तक कोई आंदोलनरत समूह शांतिपूर्ण रहता है,तब तक सरकारें उसकी परवाह नहीं करतीं। दिल्ली में संसद मार्च और रांची में विधानसभा के घेराव की नौबत नहीं आती,यदि दोनों जगह सरकारें समय पर सक्रियता और संवेदनशीलता दिखातीं।

रांची में राज्य सरकार की ओर से आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर झारखंड के छात्र 15 दिनों से अधिक समय से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे,लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार तब चेती,जब उसे लगा कि आक्रोशित छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

उसने छात्रों के दबाव में उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके यह दावा किया कि उनकी 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं,लेकिन छात्र इस दावे को नकार रहे हैं,क्योंकि परीक्षाओं में धांधली की सीबीआइ जांच की उनकी मांग नहीं मानी गई। समझना कठिन है कि जब राज्य सरकार परीक्षाओं में धांधली की जांच कर ही रही है और प्रथमदृष्टया यह सिद्ध हो गया है कि परीक्षाओं में अनियमितता हुई, तब फिर उसे इसकी जांच सीबीआइ से कराने में क्या हर्ज है?

यदि केंद्र सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र ले सकती है,तो झारखंड सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच की तार्किक मांग मानने से क्यों इन्कार कर रही है? पता नहीं क्यों सरकारें यह समझने के लिए आसानी से तैयार नहीं होतीं कि जायज मांगों के प्रति केवल संवेदनशील दिखना ही पर्याप्त नहीं होता,बल्कि कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं।

इससे ही आक्रोश शांत होता है और पीड़ित लोगों में न्याय मिलने का भरोसा पैदा होता है। यदि झारखंड सरकार छात्रों का भरोसा हासिल नहीं कर सकी तो इसके लिए वही जिम्मेदार है। वह इसके लिए भी जिम्मेदार है कि छात्रों के आंदोलन को लेकर दलगत राजनीति शुरू हो गई और पुलिस बल प्रयोग भी एक मुद्दा बन गया।

देश की बीमार शिक्षा व्यवस्था

प्रोफसर शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

किसी भी देश के लिए शिक्षा का सबसे अधिक महत्व होता है। शिक्षा मनुष्य में नैतिकता, कर्त्तव्य परायणता, अज्ञानता को दूर करने में सहायता, कठिन परिश्रम,उद्देश्य के प्रति समर्पण भावना,इंसानियत,देशभक्ति,बड़े- बुजुर्गों, गुरुजनों तथा माता-पिता के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा उत्पन्न करने तथा कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा ही देश के व्यापार, विकास,उद्योग,तकनीक,जनकल्याण, देश की सुरक्षा तथा दूसरे देशों के साथ सम्मानजनक तथा समानता के आधार पर संबंध विकसित करने में मार्गदर्शन करती है। बच्चा पैदा होने के बाद जब वह बड़ा होने लगता है तो उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसकी पढ़ाई का फिक्र उसके माता-पिता करने लगते हैं और उसे स्कूल,कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए कोचिंग सेंटर भेजते हैं। भारत कभी और बातों के इलावा शिक्षा को लेकर भी विश्व गुरु रहा है। यहां की नालंदा तथा टेक्स्ला यूनिवर्सिटियां न केवल अपने देश बल्कि विदेशों से भी आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षित करती रही थीं।

शिक्षा के इतने महत्व के बावजूद भी भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अथवा सिस्टम बीमार है जिसके फल स्वरुप हम ना ही तो कुशल व्यापारी,कुशल प्रशासक,ईमानदार तथा देश हित को समर्पित राजनेता,विदेशी मामलों में विशेषज्ञ पैदा कर सके हैं बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। शिक्षा ईमानदार माता-पिता की तरह जो कुछ भी देती है सर्वश्रेष्ठ देती है परंतु देश की बीमार शिक्षा व्यवस्था के कारण सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। यह हमारी बीमा शिक्षा व्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि देश में लोगों की,कार्य प्रवृत्ति,work culture,ढलान पर है,भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,नैतिकता कम हो रही है, देश भक्ति के प्रति उदासीनता है,संतान के द्वारा माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करना तथा उनकी धन संपत्ति पर कब्जा करके उन्हें घर से निकाल देना या वृद्ध आश्रम में भेज देना बताता है कि उन्हें आवश्यक शिक्षा नहीं दी जा सकी।

बच्चों के स्कूल में दाखिल होने से लेकर आगे को पढ़ाई के किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम भारतीय परंपरा,संस्कृति तथा आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाया जाता। जैसे-जैसे बच्चा स्कूल में छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाता है उसका स्कूल बैग इतना भारी हो जाता है कि उससे उठाया भी नहीं जाता। सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई का स्तर इतना नीचे है कि शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी अपने आप को किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के काबिल ही नहीं समझते। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है,एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग एक लाख सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। वह अकेला शिक्षक सारे स्कूल के किन-किन विद्यार्थियों को किस-किस क्लास में क्या-क्या पढ़ाएगा,सरकार के साथ संपर्क बनाकर रखेगा तथा अन्य जिम्मेदारियां को पूरा करेगा। इसलिए मजबूर होकर समर्थ ना होने के बावजूद भी गरीब लोग अपना

पेट काटकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें महंगे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फीस,महंगी किताबें,कॉपियां तथा अन्य बातों को लेकर होने वाले खर्चे से बेचारे मां-बाप की कमर झुक जाती है। यह महंगे महंगे स्कूल सरकार की सांठगांठ से अमीर आदमियों के द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए नहीं बल्कि और अमीर होने के लिए चलाए जाते हैं इतना ही नहीं इन स्कूलों में कुछ अमीरज़ादों के बिगड़ैल बच्चे गरीब विद्यार्थियों की आदतों को बिगाड़ देते हैं। बच्चों में आपस में कोई सच्ची मित्रता अथवा सहयोग की भावना देखने को नहीं मिलती। बच्चों में पढ़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने की ईर्ष्या देखी जा सकती है। बच्चे जब स्कूल से पढ़कर आते हैं तो उन्हें ट्यूशन के लिए फिर जाना पड़ता है। दिन भर पढ़ाई और पढ़ाई बेचारे विद्यार्थियों का दिमाग खराब कर देती है। शाम को बच्चे थक कर आते हैं, खाना खाते हैं,थोड़ी देर टीवी या मोबाइल पर समय बिताते हैं,स्कूल का तथा ट्यूशन का होमवर्क करते हैं और बेसुध होकर सो जाते हैं। सारा दिन बच्चों के लिए खेलकूद तथा मस्ती का कोई मौका नहीं मिलता जो कि उनके मानसिक तनाव को दूर कर सके। असल में देखा जाए तो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया है। जिन चेहरों पर मासूमियत,मुस्कुराहट तथा खुशी होनी चाहिए थी पढ़ाई के बोझ के कारण उन चेहरों पर तनाव, उदासीनता,चिड़चिड़ापन,क्रोध, जिद् तथा बड़ों के प्रति अवज्ञा देखने को मिलती है। सीबीएसई परीक्षा हो या कोई और,परीक्षा परिणामों को लेकर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है,अमीर लोगों द्वारा रिश्वत देकर उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी जाती हैं। जिन बालकों ने रात दिन कठिन परिश्रम किया होता है परीक्षा फल उन्हें निराश कर देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है।

इसके अलावा जब कोई बच्चा बारहवीं पास कर लेता है डॉक्टर ,वकील ,इंजीनियर,पुलिस अधिकारी अथवा विदेशी सेवा में उच्च पद प्राप्त करने के लिए जब वह किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो गरीब मां-बाप अपनी जमीन जायदाद बेचकर लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। वहां पर बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो या तो पेपर लीक हो जाता है और सभी विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाते अथवा अमीर लोगों के बच्चे पहले ही रिश्वत देकर पेपर का पता कर लेते हैं और तैयारी करके उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं जबकि गरीब आदमी का बच्चा असफलता के कारण कई बार आत्महत्या कर लेता है। उसके सपने टूट जाते हैं। उसे पता है कि उसके मां-बाप दोबारा लाखों रुपया खर्च करके उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। वर्तमान परीक्षा प्रणाली इतनी महंगी है कि हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर,वकील,इंजीनियर, उच्च पुलिस अधिकारी यह विदेशी सेवा में कुछ अधिकारी नहीं बना सकता। ऐसा देखा गया है कि लाखों रुपया खर्च करके जो बच्चे उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर भी लेते हैं तो उन्हें उसी के अनुसार नौकरी के वेतन नहीं मिलते। जिससे निराशा होकर ये बच्चे विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं और वही बस जाते हैं। इस तरह अपने देश से प्रतिभा पलायन होता है। अगर इन बच्चों को अपने ही देश में उचित वेतनो

पर नौकरी मिल जाती तो यह देश के विकास में योगदान कर सकते थे। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुताबिक नहीं है, तभी तो हमारे देश से हर साल 8 से 10 लाख विद्यार्थी इंग्लैंड,कनाडा,अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और पढ़कर उस देश के विकास में योगदान करते हैं। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के विकास, जनकल्याण,औद्योगिक विकास, तकनीक का विकास तथा अनुसंधान, विदेशी मामलों में विशेषज्ञ पैदा करने में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। हर देश के युवा वर्ग की तरह हमारे देश के युवा वर्ग के भी कुछ सपने हैं जो की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के दोषों को दूर करके पूरे किए जा सकते हैं। देश में अलग-अलग भागों में युवाओं द्वारा शिक्षा व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए हो रहे आंदोलन देश के नीति निर्माताओं को जगाने के लिए काफी है।

घेवर की मिठास पर मिलावट का साया

सड़कों और मोहल्लों में बिना उत्पादन तिथि या गुणवत्ता जांच के बेची जाने वाली मिठाइयाँ गंभीर चिंता का विषय हैं...

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

मानसून के आगमन से उत्तर भारत में एक विशेष आकर्षण आ जाता है। सावन और तीज के दौरान हरे-भरे खेतों,झूलों,मेहंदी,लोकगीतों आदि के साथ-साथ उत्सवों का भी आनंद और उल्लास का माहौल रहता है। घेवर इस मौसम के अनेक पारंपरिक व्यंजनों में अपना विशेष स्थान रखता है। हरियाणा,राजस्थान,उत्तर प्रदेश,दिल्ली और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में घेवर सिर्फ एक मिठाई नहीं है। यह पारिवारिक परंपराओं,स्नेह,त्योहारों और बेटियों तथा उनके माता-पिता के घर के बीच के भावनात्मक जुड़ाव से भी संबंधित है।

तीज और मानसून के अन्य त्योहारों के दौरान,घेवर आमतौर पर बेटियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को प्यार और शुभकामनाओं के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यह अपनी अनूठी बनावट, कुरकुरेपन और मिठास के लिए जाना जाने वाला एक पसंदीदा त्योहार का व्यंजन है। फिर भी, एक चिंताजनक मुद्दा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है,और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सार्वजनिक रूप से गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ प्रथाएं और ताजगी या सुरक्षित उपयोग अवधि के बारे में उचित जानकारी के बिना मिठाइयों की बिक्री।

त्योहारी मौसम की शुरुआत से ही, घेवर न केवल पारंपरिक मिठाई की दुकानों में,बल्कि मोहल्लों और गलियों में लगने वाले अस्थायी स्टालों और छोटी दुकानों में भी नज़र आने लगता है। बढ़ती मांग के कारण विक्रेताओं के लिए एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर,इससे कुछ व्यापारी ऑर्डर पूरे करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं।

सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि मिठाइयों के बनने की तारीख और उन्हें खाने के लिए सुरक्षित रखने की अवधि के बारे में जानकारी का अभाव है। कई स्थानीय बाजारों में,ग्राहक विक्रेता के इस दावे पर खुले घेवर खरीद लेते हैं कि यह ताज़ा है या आज ही बनाया गया है। हालांकि,आम तौर पर उपभोक्ताओं के पास इन दावों की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र साधनों की कमी है। प्रासंगिक जानकारी उपभोक्ताओं को पैकेटबंद मिठाइयों के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। ताजगी और सुरक्षित रखरखाव से जुड़ी एक अतिरिक्त चुनौती खुले में रखी मिठाइयों के मामले में और भी गंभीर हो जाती है।

घेवर को सही तरीके से स्टोर और संभालना भी ज़रूरी है। साधारण घेवर और क्रीम,खोया या अन्य जल्दी खराब होने वाली सामग्री से बने घेवर के लिए अलग-अलग भंडारण स्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। गर्मी,नमी, धूल और अस्वच्छ वातावरण भोजन की गुणवत्ता पर असर डाल सकते हैं। मानसून के महीनों में नमी अधिक होती

है,जिससे सही तरीके से संभालना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिठाई बाहर से देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन गलत तरीके से स्टोर करने पर अंदर से खराब हो सकती है।

मिलावट भी एक गंभीर समस्या है। मिठाइयाँ कृत्रिम रंगों,खाना पकाने के तेल,घी,खोया और दूध से बनाई जाती हैं;इन सभी सामग्रियों की गुणवत्ता सीधे तौर पर मिठाइयों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। जब इस्तेमाल की गई सामग्रियाँ उच्च गुणवत्ता की नहीं होतीं, तो उपभोक्ताओं को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बिना किसी सबूत के खुलेआम बेची जा रही किसी भी मिठाई के बारे में यह निष्कर्ष न निकाला जाए कि उसमें मिलावट है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मूल्यांकन उचित निरीक्षण, नमूनाकरण और प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए,न कि अनुमान या अफवाहों के आधार पर।

खाद्य सुरक्षा निगरानी को केवल प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों या बड़े वाणिज्यिक बाजारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में छोटी स्थानीय दुकानें,अस्थायी स्टॉल और स्थानीय विक्रेता भी शामिल हैं। वास्तव में,ये छोटे बिक्री केंद्र अधिक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके पास भंडारण और स्वच्छता के लिए सीमित सुविधाएं उपलब्ध हों।

त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों के नमूनों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, जिसे खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अक्सर करते हैं। खाद्य सुरक्षा कोई आवधिक गतिविधि नहीं हो सकती। निरंतर निरीक्षण,जागरूकता बढ़ाना और प्रभावी प्रवर्तन पूरे वर्ष लागू किए जाने चाहिए। यदि नमूने निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं,तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही,निरीक्षण के नियम निष्पक्ष और सुसंगत होने चाहिए, और उपभोक्ताओं को नियमों पर पूरा भरोसा होना चाहिए।

मिठाई बेचने वालों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। भोजन बेचने वाला व्यक्ति केवल एक उत्पाद नहीं बेच रहा होता है,बल्कि वह ऐसी चीज़ बेच रहा होता है जिसे बच्चे,बुजुर्ग और पूरा परिवार खाएगा। इसलिए,स्वच्छ तैयारी क्षेत्र,गुणवत्तापूर्ण सामग्री,स्वच्छतापूर्ण तरीके से संभालना,उचित भंडारण और उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में सही जानकारी देना अनिवार्य कार्य माना जाना चाहिए,न कि वैकल्पिक।

उपभोक्ता भी पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें मिठाई खरीदते समय अधिक जागरूक होना सीखना चाहिए। मिठाई खरीदते समय दुकान की स्वच्छता, मिठाई की दिखावट और ताजगी,भंडारण की स्थिति और दुकान पर दी गई उत्पाद संबंधी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर मिठाई से गंध,स्वाद और/या दिखावट में कोई अंतर हो, तो उसे न खाएं। कम कीमत को स्वस्थ भोजन न खरीदने का बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए।

ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम हो गई है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की कोई तस्वीर,वीडियो या आरोप कुछ ही घंटों में वायरल हो सकता है। सोशल मीडिया निश्चित रूप से लोगों तक बात पहुंचाने और वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन किसी आरोप को यूं ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अगर संबंधित व्यक्ति या दुकान का समर्थन नहीं किया जाता है,तो इससे उनकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर इसकी पुष्टि नहीं होती है, तो यह दुकान या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। दावे, जांच और सिद्ध तथ्य के बीच अंतर होना आवश्यक है; यदि यह अंतर नहीं है,तो जिम्मेदारीपूर्ण रिपोर्टिंग नहीं हो सकती।

मिलावट की आशंकाओं के कारण घेवर को भय का प्रतीक बनाना उचित नहीं है। बल्कि,इस पारंपरिक व्यंजन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भोजन साझा करना और रिश्ते मजबूत करना हमारे त्योहारों का अभिन्न अंग है। यह परंपरा तभी कायम रह सकती है जब लोगों को यह विश्वास हो कि वे अपने प्रियजनों के साथ जो भोजन साझा कर रहे हैं वह उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

इसलिए प्रशासन को मिठाई की दुकानों और अस्थायी खाद्य स्टालों पर विशेष रूप से त्योहारों के दौरान निगरानी बढ़ानी चाहिए और साल भर नियमित रूप से इनकी जाँच करनी चाहिए। विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और इनका पालन न होने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दुकान के आकार, सामाजिक स्थिति या मालिकों के आपसी संबंधों की परवाह किए बिना, कानून सभी विक्रेताओं पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

हरेली तिहार

अशोक कुमार यादव
मुंगेली,छत्तीसगढ़

बरखा रानी आगे,धान ह बोंवागे।
हरियर रंग छागे,
किसान के भाग जागे।।
भुइयाँ महतारी के होगे सिंगार।
चलव मनाबो हरेली तिहार।।

अमावस के दिन ह,हे बड़ पावन।
बरस के पहिली परब,हे मनभावन।।
नाँगर,कुदरी के पूजा करहीं संसार।
चलव मनाबो हरेली तिहार।।

लइका मन बाँस के गेड़ी खपाहीं।
रचमच-रचमच चघे,
गली-खोर म आहीं।।
जम्मों कोती बगरही खुशी के उजियार।
चलव मनाबो हरेली तिहार।।

गुरतुर गुड़हा चीला ह बिकट मिठाही।
माईलोगिन मन
उकेरहीं चित्र सवनाही।।
कुटकी देबी ह करही जन के उद्धार।
चलव मनाबो हरेली तिहार।।

बरदिहा,पहटिया मन डारी खोंचे आहीं।
लोहार मन चौंखट म
खीला गड़ियाहीं।।
गोरइंया देवता ह सुनही सबके पुकार।
चलव मनाबो हरेली तिहार।।

गोमूत्र से कमाई मॉडल या चुनावी चमक

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से गोमूत्र खरीद का जो पायलट मॉडल सामने आया है, उसे केवल गाय,गांव और संस्कृति की कहानी मानना आसान है,लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या सरकार गोमूत्र को सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया उत्पाद बनाना चाहती है,या फिर ऐसी घोषणा कर रही है जिसकी चमक कुछ समय बाद सरकारी कागजों तक सिमट जाएगी। 15 गांवों से रोज करीब 500 लीटर गोमूत्र एकत्र करने का लक्ष्य सुनने में छोटा है,लेकिन इसी आंकड़े में योजना की ताकत और कमजोरी दोनों छिपी हैं। 500 लीटर प्रतिदिन का मतलब साल भर में करीब 1.82 लाख लीटर है। दस रुपये लीटर की दर से केवल खरीद पर सालाना लगभग 18.25 लाख रुपये खर्च होंगे। दर बीस रुपये हुई तो यही खर्च 36.5 लाख रुपये पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इस कच्चे माल से तैयार उत्पादों की बिक्री कितनी होगी और सरकारी खरीद के मुकाबले बाजार से कितनी आमदनी आएगी। बुलंदशहर में यह प्रयोग बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुआ है। नरसेना क्षेत्र में पिछले वर्षों से महिला समूह गोमूत्र संग्रह कर रहे हैं। 2023 में वहां किसानों से 10 से 15 रुपये लीटर तक खरीद और जैविक खाद तथा कीटनाशक तैयार करने का दावा सामने आया था। उस समय एक साल में 10 हजार लीटर खरीद के बाद अगले चरण में 50 हजार लीटर का लक्ष्य बताया गया था। 2024 की रिपोर्टों में दर्जन से अधिक गांवों में महिला समूहों के संग्रह केंद्र और 20 हजार लीटर से अधिक संचयन का उल्लेख मिला। इसका मतलब साफ है कि सरकार के सामने कोई काल्पनिक प्रयोग नहीं,बल्कि पहले से चल रही स्थानीय गतिविधि को बड़े ढांचे में बदलने का अवसर है। यही कारण है कि नई योजना की असली परीक्षा घोषणा नहीं,पुराने अनुभव से सीख लेने में होगी।

छत्तीसगढ़ का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 में वहां गोधन न्याय योजना के विस्तार के रूप में चार रुपये लीटर की दर से गोमूत्र खरीद शुरू हुई। उद्देश्य था उससे ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक कीटनाशक और जीवामृत जैसे कृषि इनपुट बनाना। उस समय राज्य में आठ हजार से अधिक गौठानों का ढांचा भी बताया गया था। फिर भी किसी योजना की सफलता केवल खरीद केंद्रों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। यदि संग्रहित सामग्री का नियमित प्रसंस्करण,पैकेजिंग, प्रमाणन और बिक्री नहीं होती, तो खरीद अपने आप में टिकाऊ कारोबार नहीं बनती। यही वह बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश को उत्साह से ज्यादा व्यवस्था दिखानी होगी।गुजरात का हालिया मॉडल इस बहस को एक और दिशा देता है। बनास डेयरी ने 2025 में देशी कांकरेज गाय पालने वाले करीब 150 पशुपालकों से पांच रुपये लीटर की दर पर गोमूत्र खरीदने का पायलट शुरू किया। राधनपुर के संयंत्र में इसे मृदा कंडीशनर और पौध वृद्धि से जुड़े उत्पादों में बदलने की

व्यवस्था की गई। यहां महत्वपूर्ण बात खरीद की कीमत नहीं,बल्कि खरीद से पहले प्रसंस्करण और बिक्री का ढांचा है। डेयरी के पास संग्रह, परिवहन, संयंत्र, ब्रांड और बाजार की क्षमता है। उत्तर प्रदेश को भी इसी सवाल का जवाब देना होगा कि बुलंदशहर से निकलने वाला 500 लीटर प्रतिदिन आखिर किस संयंत्र में जाएगा,कितने घंटे में पहुंचेगा, किस तापमान और किस गुणवत्ता मानक पर रखा जाएगा और तैयार उत्पाद कौन खरीदेगा।

गोमूत्र के कृषि उपयोग को पूरी तरह खारिज करना भी उतना ही गलत होगा जितना उसे हर बीमारी की दवा मान लेना। वैज्ञानिक साहित्य में गोबर और गोमूत्र आधारित जीवामृत जैसे मिश्रणों पर खेत परीक्षण हुए हैं और कुछ परिस्थितियों में इनके पोषक तथा सूक्ष्मजीवी प्रभाव दर्ज किए गए हैं। लेकिन खेत में किसी जैविक घोल का उपयोग और मानव औषधि के रूप में उसका सेवन दो अलग बातें हैं। इसलिए सरकार यदि गोमूत्र से दवाएं बनाने की बात करती है तो उसे आयुर्वेदिक औषधि नियमों,परीक्षण, बैच गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों से गुजरना होगा। परंपरा बाजार की शुरुआत कर सकती है, प्रमाणन ही उसे विश्वसनीय बाजार बनाता है। सबसे बड़ी चुनौती संग्रहण है। ताजा गोमूत्र कोई दूध नहीं है जिसे सामान्य दुग्ध श्रृंखला की तरह तुरंत उठाकर हर जगह पहुंचा दिया जाए। गांव में स्वच्छ संग्रह पात्र,ढक्कनयुक्त टैंक, फिल्ट्रेशन, बैच पहचान,परिवहन और प्रसंस्करण की समय सीमा तय करनी होगी। गाय की नस्ल,पशु का स्वास्थ्य,आहार, पानी,दवाओं का इस्तेमाल और मिलावट जैसी बातें गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। यदि एक गांव का माल दूसरे गांव के माल से अलग है तो तैयार उत्पाद की गुणवत्ता भी बदल सकती है। इसलिए खरीद के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग जरूरी है। केवल दस या बीस रुपये की कीमत तय कर देना गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है।

300 महिलाओं को शेयरहोल्डर बनाना योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। यदि 500 लीटर रोज पर दो रुपये प्रति लीटर कमीशन का प्रावधान है, तो कुल कमीशन एक हजार रुपये प्रतिदिन और करीब 3.65 लाख रुपये सालाना होगा। 300 महिलाओं में बराबर बांटें तो औसतन लगभग 1,217 रुपये सालाना,यानी करीब 101 रुपये महीना बैठता है। इसलिए इसे महिला आर्थिक सशक्तीकरण का बड़ा मॉडल बताने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं की वास्तविक आय कितनी होगी, शेयर का स्वामित्व कैसे तय होगा,लाभांश मिलेगा या नहीं और संग्रह,प्रसंस्करण तथा बिक्री में उनका हिस्सा कितना रहेगा। सिर्फ कमीशन से आत्मनिर्भरता का दावा कमजोर पड़ जाएगा।सरकार के लिए सबसे जरूरी काम खरीद दर बढ़ाना नहीं,मांग पैदा करना होना चाहिए। यदि आज दस रुपये और कल बीस रुपये देने का वादा है,तो उसके साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि उत्पाद कितने रुपये में बिकेगा और बाजार कितना बड़ा है। कृषि विभाग,आयुर्वेद संस्थान,कृषि विश्व विद्यालय,सहकारी समितियां और निजी कंपनियां मिलकर परीक्षण करें। किसानों के खेतों पर नियंत्रित प्रदर्शन हों। उत्पादों की लागत,फसल पर असर, रासायनिक विकल्पों के मुकाबले लाभ और बाजार में दोबारा खरीद की दर सार्वजनिक की जाए। तभी पता चलेगा कि यह सब्सिडी है या कारोबार।

योजना को चुनावी चश्मे से देखना भी आसान है,खासकर जब उत्तर प्रदेश 2027 की विधानसभा चुनावी तैयारी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन केवल इसी आधार पर इसे खारिज करना जल्दबाजी होगी। गायों से जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्या वास्तविक है। अनुपयोगी पशु किसान के लिए खर्च हैं और गोसंरक्षण तभी टिकेगा जब पशुपालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने। गोबर,गोमूत्र,दूध, जैविक खाद और प्राकृतिक कृषि इनपुट को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलना इसलिए उपयोगी विचार हो सकता है। मगर अच्छी योजना वही है जो नारे के बाद भी चलती रहे। बुलंदशहर के 500 लीटर प्रतिदिन को 5,000 या 50,000 लीटर तक ले जाना आसान घोषणा है;उसके लिए दस गुना संग्रह केंद्र,परिवहन,परीक्षण,प्रसंस्करण और बाजार चाहिए।

पंचायत घर

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

ग्राम पंचायत रामपुर के जर्जर भवन के बरामदे की ऊँची कढ़ी में टँगा वह भारी-भरकम पीतल का घंटा गाँव भर की उन तमाम बेईमानियों का इकलौता गवाह था, जिन्हें अक्सर लोकतंत्र का नाम देकर दबा दिया जाता था। वक्त की गर्द और सरकारी वादों की नमी ने उस पर हरे-काले रंग की एक ऐसी मोटी परत जमा दी थी, जैसे किसी भ्रष्ट नेता के चेहरे पर ईमानदारी का नकाब चढ़ा हो। गाँव के हर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक की निगाहें उस पर किसी दिव्य अमानत की तरह टिकी रहती थीं,मानो वह घंटा न हुआ, कोई विदेशी ऋण हो जिसे चुकाने की उम्मीद सब छोड़ चुके हों। उस घंटे के ठीक नीचे लकड़ी की एक पुरानी पटरी पर लल्लू राम जी भोर होते ही अपनी फटी सी चटाई बिछाकर बैठ जाते थे ठीक उसी तरह,जैसे किसी मंत्रालय की फाइल पर कोई क्लर्क कुंडली मारकर बैठ जाता है। सफेद खद्दर का धोती-कुर्ता पहने और आँखों पर पीतल के फ्रेम वाला चश्मा चढ़ाए लल्लू राम जी दिन भर अपनी लाठी टेकते हुए उस घंटे को निहारते थे। दरअसल,वे उस आदर्शवादी दौर के आखिरी अवशेष थे,जब लोग घूस लेने के बाद कम से कम शर्मिंदा होने का नाटक तो करते थे। अपनी जेब से पीतल का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसे बड़े जतन से सहलाते रहते थे,जैसे कोई रिटायर फौजी अपना पुराना मेडल सहला रहा हो या कोई साहित्यकार अपनी पुरानी अप्रकाशित पांडुलिपि। गाँव का कोई भी आदमी जब सरपंच से मिलने या खसरा-खतौनी की नकल लेने पंचायत घर आता जो कि अक्सर एक धार्मिक तीर्थयात्रा से कम कठिन नहीं था तो लल्लू राम जी को उसी शांत मुद्रा में बैठकर घंटे को घूरते पाता था। गाँव के मुखिया से लेकर पटवारी तक,जिनके लिए जनता की सेवा केवल चुनाव के समय किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य था,लल्लू राम जी को देखकर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर देते थे। पर किसी ने कभी उनसे यह पूछने का जोखिम नहीं उठाया कि आखिर वे रोज सुबह से शाम तक उस खामोश पड़े घंटे के नीचे बैठकर किस अच्छे दिन के बजने का इंतजार करते हैं। लल्लू राम जी के हाथ में हमेशा एक पुरानी लाल डायरी होती थी जिसमें वे रोज कुछ न कुछ लिखते,शायद उन वादों की सूची जो कभी पूरे नहीं हुए, और फिर घंटे की तरफ देखकर एक लंबी गहरी साँस खींचकर मौन हो जाते थे। मौन रहना भी इस देश में एक महान क्रांतिकारी कार्य है,क्योंकि बोलते ही लोग आपको किसी न किसी विचारधारा के पिंजरे में बंद कर देते हैं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

12 अगस्त

डॉ. डी. के. सोनी जी

स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष

सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाजसेवी एवं अधिवक्ता

को जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनायें

विनीतः हैप्पी न्यूट्रीशन क्लब, अम्बिकापुर

विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी आयोजन नहीं होने से गरमाई सियासत

कांग्रेस का आरोप...आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में सरकार ने दिवस की उपेक्षा की...न सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ न बधाई संदेश

15 आदिवासी बहुल जिलों में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना,कहा...आदिवासी समाज को वोट बैंक समझ रही भाजपा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शासकीय स्तर पर कोई बड़ा सार्वजनिक आयोजन नहीं होने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को छत्तीसगढ़ के 15 आदिवासी बहुल जिलों में कांग्रेस ने एक साथ प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि जिस छत्तीसगढ़ की आबादी में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत है, वहां 9 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिवस पर सरकार की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसे आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की उपेक्षा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं,इसके बावजूद विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की ओर से कोई विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ। कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से भी आदिवासी समाज के लिए बधाई संदेश जारी नहीं किया गया। कांग्रेस ने इसे आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी बताते हुए भाजपा पर सवाल खड़े किए।

आदिवासी समाज के समर्थन से बनी सरकार,फिर भी एक संदेश तक नहीं : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों सहित बस्तर, कोरबा और अन्य आदिवासी क्षेत्रों से मिले समर्थन ने 2023 में भाजपा को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देती रही,लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी समाज के लिए सार्वजनिक आयोजन तक नहीं किया गया। पाठक ने कहा कि प्रदेश की करीब 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समाज की है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस जैसे अवसर पर सरकार की ओर से कोई बड़ा सार्वजनिक आयोजन नहीं होना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देता है। उन्होंने भाजपा द्वारा आदिवासी समाज के लिए 'वनवासी' शब्द के इस्तेमाल की भी आलोचना की और कहा कि आदिवासी समाज की अपनी ऐतिहासिक पहचान, संस्कृति, परंपरा और अधिकार हैं, जिन्हें किसी दूसरे संबोधन से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

'आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते उपेक्षा क्यों?' आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल पैकरा ने कहा कि प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते विश्व आदिवासी दिवस की उपेक्षा होना गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब संघ परिवार के दबाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज केवल राजनीतिक वोट बैंक नहीं है। उसकी अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा, जीवन पद्धति और जल-जंगल-जमीन से जुड़ा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें आदिवासी समाज के आरक्षण से जुड़े हितों को भी कमजोर करने की दिशा में काम कर रही हैं।

भाजपा हमें आदिवासी नहीं,वनवासी कहती है...

राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि संघ परिवार और भाजपा आदिवासी समाज को आदिवासी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते,बल्कि उन्हें 'वनवासी' कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की कल्याणकारी नीतियों के कारण आदिवासी समाज के लोग शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं तथा देश के विकास में दूसरे समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रहे हैं। डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री सहित बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री और विधायक हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर अपने ही समाज की कथित उपेक्षा के बावजूद वे चुप हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वे किस दबाव में हैं और उन्हें इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समाज की महान विरासत और महापुरुषों को चौक-चौराहों पर मूर्तियों तक सीमित कर 'टोकनिज्म' की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक ओर आदिवासियों को 'वनवासी' कहा जाता है और दूसरी ओर उनके जल,जंगल,जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

कांग्रेस ने उठाए ये सवाल...

प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि—

- आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को शासकीय स्तर पर सार्वजनिक आयोजन क्यों नहीं किया गया?
- आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ?
- प्रदेश में आदिवासी समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद सरकार की ओर से औपचारिक बधाई संदेश तक क्यों नहीं दिया गया?
- आदिवासी समाज के मंत्री और विधायक इस कथित उपेक्षा पर मौन क्यों हैं?

जल-जंगल-जमीन से लेकर पहचान तक का मुद्दा

कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस को केवल एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि आदिवासी समाज की पहचान,संस्कृति और अधिकारों से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता जल,जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में आदिवासी दिवस पर सरकारी आयोजन नहीं होना उस समाज की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान न देने के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे आदिवासी नायकों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने देश की आजादी और अपने अधिकारों के लिए लंबे संघर्ष किए हैं। विश्व आदिवासी दिवस इन्हीं संघर्षों, संस्कृति और अधिकारों को याद करने का अवसर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी 9 अगस्त को आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने वाला दिवस बताते हुए जल-जंगल-जमीन के अधिकारों से समझौता नहीं करने की बात कही थी।

- आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान को राजनीतिक आयोजनों तक सीमित क्यों किया जा रहा है?

पिछली सरकारों के आयोजनों का भी कांग्रेस ने किया जिक्र

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक महत्व देने की परंपरा पहले से रही है। राज्य सरकार के एक पुराने आधिकारिक दस्तावेज में भी 9 अगस्त को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सरकारी संस्थानों की सहभागिता का उल्लेख मिलता है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश और आदिवासी संस्कृति से जुड़े आयोजनों को बढ़ावा देने का दावा सरकारी जनसंपर्क सामग्री में किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इसी पृष्ठभूमि में 2026 में सरकारी स्तर पर आयोजन नहीं होने का फैसला और अधिक सवाल खड़े करता है।

प्रेसवार्ता में ये रहे मौजूद : प्रेसवार्ता में मो. इस्लाम,इंद्रजीत सिंह धंजल, राशिद अहमद, लोकेश कुमार,जमील खान,आलोक सिंह, गुरुप्रीत सिद्धू,नरेंद्र विश्वकर्मा,दिनेश शर्मा, चंद्रप्रकाश सिंह,सोहन जायसवाल,रजनीश सिंह और अमित सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सियासी संदेश साफ आदिवासी सम्मान का मुद्दा बना राजनीतिक हथियार...

विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस के हमले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी अस्मिता को फिर से केंद्र में ला दिया है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में 9 अगस्त को सरकारी आयोजन नहीं होने का मुद्दा अब केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे भाजपा की आदिवासी नीति और आदिवासी समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण से जोड़ रही है। हालांकि, कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा अथवा राज्य सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने पर ही तस्वीर का दूसरा पक्ष स्पष्ट होगा। फिलहाल विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा आदिवासी बहुल क्षेत्रों की राजनीति में और जोर पकड़ सकता है।

अंबिकापुर में 1251 ई-रिक्शा में 713 का फिटनेस फेल,फिर भी सड़कों पर फर्राटा

वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, परिवहन और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम से जांच कराने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा की फिटनेस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अंबिकापुर आरटीओ कार्यालय में 18 जून 2026 तक कुल 1,251 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जिनमें से महज 538 ई-रिक्शा का फिटनेस वैध बताया गया है,जबकि 713 ई-रिक्शा फिटनेस फेल हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में फिटनेस फेल ई-रिक्शा सड़कों पर बेरोकटोक संचालित होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर फिटनेस फेल ई-रिक्शा के खिलाफ तत्काल सघन जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।

फिटनेस फेल वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा

कैलाश मिश्रा ने ज्ञापन में कहा है कि फिटनेस फेल ई-रिक्शा का सार्वजनिक मार्गों पर संचालन यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ई-रिक्शा शहर में सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इनमें सफर करते हैं। ऐसे में वाहनों की तकनीकी स्थिति और फिटनेस की नियमित जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब किसी वाहन को फिटनेस जांच में असुरक्षित या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसके सड़क पर संचालन पर रोक लगनी चाहिए। इसके बावजूद फिटनेस फेल ई-रिक्शा का लगातार संचालन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

परिवहन-यातायात पुलिस की संयुक्त जांच की मांग

ज्ञापन में कहा गया है कि ई-रिक्शा के संबंध में पंजीयन,फिटनेस, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर से मांग की है कि परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर शहर में सघन जांच अभियान चलाया जाए। इस दौरान प्रत्येक ई-रिक्शा का पंजीयन,फिटनेस,चालक का लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाए।

713 फिटनेस फेल वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

ज्ञापन में सबसे बड़ा सवाल यही उठाया गया है कि यदि आरटीओ के रिकॉर्ड में 713 ई-रिक्शा फिटनेस फेल हैं तो वे सड़क पर कैसे संचालित हो रहे हैं। फिटनेस फेल ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से नियमों का पालन करने वाले वाहन संचालकों के बीच भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मिश्रा ने मांग की है कि फिटनेस फेल पाए जाने वाले ई-रिक्शा को तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के दायरे में लाया जाए तथा फिटनेस प्रमाणित होने तक उनके सार्वजनिक मार्ग पर संचालन पर रोक लगाई जाए।

लोहे का दरवाजा खोलते ही लगा करंट,युवती की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के ग्राम झरगवां में सोमवार को करंट की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हादसे के समय घर के अन्य सदस्य खेत में रोपा लगाने गए थे। युवती घर में अकेली थी। बताया जा रहा है कि घरेलू बिजली के संपर्क में आने से लोहे के दरवाजे में करंट प्रवाहित हो गया था। झरगवां निवासी सलीना पैंकरा पिता रतिराम पैंकरा सोमवार को घर में अकेली थी। इसी दौरान वह लोहे का दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजे में करंट प्रवाहित होने के कारण वह उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खेत से रोपा लगाने के बाद परिजन जब घर लौटे तो सलीना दरवाजे से चिपकी हुई मिली। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। परिजनों ने तत्काल समझ लिया कि दरवाजे में करंट प्रवाहित हो रहा है। बेटी की मौत देखकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम बोले...32 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले प्रदेश में आयोजन तक नहीं,यह समाज की अस्मिता की उपेक्षा

-संवाददाता-
राजपुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भाजपा सरकार की कथित उपेक्षा के विरोध में राजपुर कांग्रेस कार्यालय में जिलास्तरीय पत्रकारवार्ता आयोजित की गई। पत्रकारवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने तथा उसकी सांस्कृतिक एवं स्वतंत्र पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया। पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए लुंड्रा के पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि 9 अगस्त को जब दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा था,तब छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से आदिवासी समाज के लिए अपेक्षित स्तर पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय आदिवासी नेताओं तक की ओर से समाज को बधाई संदेश नहीं दिया गया। डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सरकार की ओर से कार्यक्रम नहीं होना और बधाई संदेश जारी नहीं किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

2023 से पहले भाजपा देती थी बधाई,सत्ता में आने के बाद बदला रवैया : पूर्व विधायक ने कहा कि वर्ष 2023 से पहले भाजपा के नेता विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज को बधाई संदेश देते रहे हैं। लेकिन इस बार कथित तौर पर सरकारी स्तर पर आयोजन नहीं किया गया और सार्वजनिक रूप से भी अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की आदिवासी समाज के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि आरएसएस के कथित विरोध के कारण भाजपा के आदिवासी मुख्यमंत्री भी अपने ही समाज के महत्वपूर्ण दिवस को लेकर खुलकर आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इसे आदिवासी समाज की संस्कृति,पहचान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस महज एक औपचारिक अवसर नहीं,बल्कि आदिवासी समाज की एकता,गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रखने का दिन है।

आदिवासी नहीं,वनवासी कहकर पहचान बदलने की कोशिश: डॉ. प्रीतम राम ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासी समाज की स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं, जीवन पद्धति और ऐतिहासिक पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को 'आदिवासी' कहने के बजाय 'वनवासी' संबोधन देने की कोशिश उनकी मौलिक पहचान को कमजोर करने की राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी करीब 32 प्रतिशत है और जिसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है, वहां विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी स्तर पर आयोजन नहीं होना पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

विश्व आदिवासी दिवस अधिकार और स्वाभिमान का प्रतीक : कांग्रेस नेता ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह आदिवासी समाज के अधिकार, स्वाभिमान,संस्कृति और अपनी पहचान के लिए संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को किसी की दया या राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वह अपने अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण के प्रति जागरूक है।

आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉ. प्रीतम राम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भले ही विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अलग दृष्टिकोण रखते हों,लेकिन आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और पहचान के गौरव के साथ इस दिवस को मनाता रहा है और आगे भी मनाता रहेगा।

ये रहे मौजूद : *पत्रकारवार्ता में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, जिला प्रवक्ता सुनील सिंह,महामंत्री जितेंद्र गुप्ता,लाल साय मिंज,डॉ. बीएन द्विवेदी, नारद तिवारी,मनोज अग्रवाल,सुरेश सोनी, विकास अम्बष्ट,सत्येंद्र पांडे,बृजेश मिश्रा, अश्वनी यादव,अमित यादव,सुदामा राजवाड़े, देवनारायण मरावी,विजय सिंह, मनपतिया सिंह,आनंद मसीह तिर्की,जीत सिंह पोर्ते,लोकनाथ,सुनील भगत,डोमनिक एक्का,सुभाष तिर्की एवं एडवीन मिंज सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने किया।*

'समाज सब समझ रहा है,समय आने पर जवाब देगा'

पूर्व विधायक ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि प्रदेश का आदिवासी समाज अपनी कथित उपेक्षा और अस्मिता पर हो रहे हमले को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज शांत जरूर है,लेकिन अपने अधिकारों और पहचान को लेकर पूरी तरह सजग है और समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता किसी राजनीतिक दल की मोहताज नहीं है। समाज अपने इतिहास,संस्कृति और परंपराओं को लेकर गौरवान्वित है तथा जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल...

पत्रकारवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि आदिवासी बहुल प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय स्तर पर व्यापक आयोजन क्यों नहीं किया गया? आदिवासी समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सरकार की ओर से इस अवसर पर अपेक्षित संदेश और कार्यक्रम क्यों नहीं हुए? कांग्रेस ने इन सवालों को लेकर भाजपा सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर निशाना साधा।

सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंचेगा सरगुजा की बहनों का स्नेह

रक्षाबंधन पर भाजपा महिला मोर्चा जुटा रहा रक्षा सूत्र,साईं बाबा कॉलेज प्रबंधन ने भेंट की राखियां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरगुजा की बहनों का स्नेह सीमा पर तैनात वीर सैनिकों तक पहुंचेगा। भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान और बहनों के स्नेह का संदेश लेकर भाजपा महिला मोर्चा सरगुजा द्वारा सैनिक भाइयों के लिए राखियां एवं रक्षा सूत्र एकत्र किए जा रहे हैं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी एवं भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन तथा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर रक्षा सूत्र एवं राखियों का संग्रह कर रहे हैं।

इसी क्रम में साईं बाबा कॉलेज प्रबंधन की ओर से भारतीय सेना के जवानों के लिए रक्षा सूत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े ने कॉलेज प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक भाई कठिन परिस्थितियों में दिन-रात डटे रहते हैं। उनके त्याग और राष्ट्रसेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का रक्षाबंधन से बेहतर अवसर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास,सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर तैनात सैनिकों को सरगुजा की बहनों की ओर से भेजी जा रही राखियां उनके लिए स्नेह, सम्मान और शुभ कामनाओं का संदेश लेकर जाएंगी। शुभांगी बिहाड़े ने कहा कि महिला मोर्चा का यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों को राष्ट्रसेवा और सैनिक सम्मान से जोड़ने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक बहनों एवं सामाजिक संस्थाओं से अभियान में सहभागी बनने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ साईं बाबा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव, डॉ. वंदना पांडेय एवं कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहे।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी,स्कॉर्पियो भी ले गए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला सुपरवाइजर की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगी करने व स्कॉर्पियो ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। बौरीपारा निवासी सोनम जायसवाल ने पुलिस को बताया है कि करीब ढाई साल पहले दया यादव उसके घर राजमिस्त्री का काम करता था। इसी दौरान उसकी और उसके पिता कैलाश जायसवाल की दया से पहचान हुई। दया ने बताया कि सलका निवासी विजय गुप्ता छत्तीसगढ़ मंत्रालय में रुपए लेकर नौकरी लगवाता है। उस समय महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला सुपरवाइजर के पद पर भर्ती निकली थी। सोनम ने दया के माध्यम से विजय गुप्ता से संपर्क किया। आरोप है कि विजय गुप्ता ने 4 लाख रुपए में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। किस्तों में राशि देने की बात होने पर उसने पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए देने को कहा। इसके लिए डिगमा निवासी संजय घोष को रकम लेने भेजने की बात कही। शिकायतकर्ता के अनुसार 26 अगस्त 2023 को संजय घोष उसके घर पहुंचा। उसने विजय गुप्ता के कहने पर 50 हजार रुपए नकद दिए। इस दौरान उसके पिता कैलाश जायसवाल, मां मनोरमा जायसवाल और चाचा दिनेश जायसवाल घर में मौजूद थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी मां ने संजय को रकम दी थी। बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग का रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। इसके बाद आरोपियों ने उसके पिता को बड़े कंपनियों में परिचय होने और अधिकारियों के स्कॉर्पियो व इनोवा वाहनों से चलने की बात बताकर वाहन किराये पर लगवाने का भरोसा दिया। शिकायत के अनुसार चाचा दिनेश जायसवाल के नाम से पंजीकृत महिंद्रा स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 15 सीक्यू 7042 को आरोपियों ने किराये पर चलवाने और हर महीने रकम देने की बात कहकर ले लिया।

अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर रोज 2-3 घंटे लेट हो रही ट्रेनें

रेल संघर्ष समिति ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन,डीआरएम से भी हुई बात,कहा...मरीज,विद्यार्थी और व्यापारियों की बढ़ रही परेशानी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब से परिचालन को लेकर अब यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रेनों के प्रतिदिन दो से तीन घंटे तक विलंब से चलने की शिकायत को लेकर सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के मुख्य स्टेशन प्रबंधक को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,बिलासपुर के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित करने और लगातार हो रही देरी के कारणों का स्थायी समाधान करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर भी चर्चा की। समिति के अनुसार डीआरएम ने समस्या के निराकरण के लिए सार्थक पहल का आश्वासन दिया है।

राजधानी जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किल : जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने कहा कि अंबिकापुर से चलने वाली कई ट्रेनें पिछले कुछ महीनों से नियमित रूप से विलंबित हो रही हैं। कई बार दो से तीन घंटे की देरी के कारण यात्रियों की पूरी यात्रा योजना प्रभावित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस (18241/18242) उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण ट्रेन है। इस ट्रेन से प्रतिदिन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीज,विद्यार्थी, व्यापारी और आम नागरिक राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों की ओर जाते हैं। ट्रेन के देर से पहुंचने के कारण कई यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए एक दिन अतिरिक्त रुकना पड़ता है। समिति का कहना है कि सुदूर आदिवासी अंचलों से राजधानी तक की यात्रा, जो सामान्य परिस्थितियों में करीब 10 घंटे में पूरी होनी चाहिए,ट्रेन के विलंब के कारण कई बार 13 से 14 घंटे तक खिंच जाती है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यमवर्गीय यात्रियों की जेब पर पड़ता है।

पावर रिवर्सल में सुधार से 30-40 मिनट बच सकते हैं : मुकेश तिवारी ने रेलवे के समक्ष परिचालन व्यवस्था में सुधार के कुछ सुझाव भी रखे हैं। उनका कहना है कि अनूपपुर और शहडोल में अतिरिक्त पावर की व्यवस्था तथा पावर रिवर्सल प्रक्रिया में सुधार किया जाए तो ट्रेनों के डिटेंशन में करीब 30 से 40 मिनट तक की कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में रेलवे को तत्काल तकनीकी और परिचालन स्तर पर अध्ययन कर प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यात्रियों के लिए कुछ मिनट की देरी भी महत्वपूर्ण होती है,लेकिन यहां समस्या घंटों के विलंब तक पहुंच गई है।

तीसरी लाइन के बाद भी समय-सारिणी में सुधार नहीं : रेल संघर्ष समिति ने बिलासपुर-अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण के बाद भी यात्री ट्रेनों के समय पालन में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सवाल उठाया है। समिति का कहना है कि तीसरी लाइन बनने के बाद उम्मीद थी कि यात्री ट्रेनों के परिचालन में अधिक सुगमता आएगी और समय पालन बेहतर होगा। इसके बावजूद कोचिंग ट्रेनों के लगातार विलंबित होने से यात्रियों में निराशा है। समिति ने लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों के परिचालन को भी यात्री ट्रेनों के विलंब का एक महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा कि माल और यात्री ट्रेनों के संचालन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

43.42 प्रतिशत पंक्चुअलिटी गंभीर चिंता का विषय : समिति ने रेलवे परिचालन की समयबद्धता को लेकर एक आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि बिलासपुर रेल मंडल की पंक्चुअलिटी 43.42 प्रतिशत बताई जा रही है और इसके आधार पर मंडल का स्थान 68वां बताया गया है। समिति ने कहा कि यदि यह आंकड़ा संबंधित अवधि और रेलवे के आधिकारिक पंक्चुअलिटी मानकों के अनुरूप है, तो यह यात्रियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रेलवे देश की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में से एक है और इसकी सबसे बड़ी अपेक्षा समयबद्धता है।

जवाबदेही तय करने की मांग : सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने रेलवे से मांग की है कि अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर संचालित सभी यात्री ट्रेनों का समय पालन सुनिश्चित किया जाए। लगातार विलंब के वास्तविक कारणों की पहचान कर उनका स्थायी समाधान किया जाए। समिति ने यह भी मांग की कि यदि किसी अधिकारी या परिचालन व्यवस्था की लापरवाही के कारण ट्रेनें नियमित रूप से विलंबित हो रही हैं तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। समिति का कहना है कि रेलवे केवल यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार से जुड़ी आवश्यक सेवा है। इसलिए समयबद्ध परिचालन को प्राथमिकता देना जरूरी है।

डीआरएम ने दिया समाधान का भरोसा : प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर चर्चा कर समस्या की गंभीरता से अवगत कराया गया। समिति के अनुसार डीआरएम ने मामले में आवश्यक पहल कर समाधान का भरोसा दिलाया है। अब यात्रियों और रेल संघर्ष समिति की नजर रेलवे की आगामी कार्रवाई पर है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि ट्रेनों के समय पालन में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को आगे भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा,नकुल सोनकर,जितेंद्र सिंह और विनोद जायसवाल सहित समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कनेक्टिंग ट्रेन छूटने से श्रद्धालु परेशान

समिति ने बताया कि केवल अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस ही नहीं,बल्कि अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों के परिचालन में भी लगातार देरी की शिकायत सामने आ रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ता है,जिन्होंने आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन का आरक्षण कराया होता है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन और देश के अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। समिति के अनुसार अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर ट्रेनें देर से पहुंचने के कारण कई यात्रियों को कनेक्टिंग नर्मदा एक्सप्रेस सहित दूसरी ट्रेनों की सुविधा नहीं मिल पाती। इससे उनकी पूरी यात्रा योजना बिगड़ जाती है।

ऐप में 'राइट टाइम',जमीन पर ट्रेन लेट

रेल संघर्ष समिति ने रेलवे के डिजिटल सूचना तंत्र पर भी सवाल उठाया। समिति का आरोप है कि कई बार रेल वन सहित विभिन्न रेलवे ऐप में विलंबित ट्रेन को 'राइट टाइम' प्रदर्शित किया जाता है,जबकि वास्तविकता में ट्रेन काफी देर से चल रही होती है। समिति ने कहा कि यात्रियों को सही और वास्तविक समय की जानकारी मिलना उनका अधिकार है। रेलवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की स्थिति अपडेट करने में किसी भी तरह की लापरवाही या विसंगति पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए।

प्रश्नकाल से पहले ही भिड़े सत्ता-विपक्ष,विपक्ष ने किया बहिष्कार

एक घंटे भी नहीं चली सामान्य सभा,हंगामे के बाद सत्ता पक्ष ने बहुमत से पारित किए सभी एजेंडे

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम की सामान्य सभा मंगलवार को सवाल-जवाब के बजाय सत्ता-विपक्ष के टकराव की भेंट चढ़ गई। राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित बैठक में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने शहर की समस्याओं और महापौर से जुड़े एक वायरल ऑडियो पर जवाब की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष ने पहले निर्धारित प्रश्नों पर चर्चा कराने की बात कही। विवाद बढ़ने पर जमकर हंगामा हुआ और सभापति हरविंदर सिंह टिन्नी को बैठक स्थगित करनी पड़ी।

बाद में विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष ने सभी एजेंडों को बहुमत से पारित कर दिया। बैठक की शुरुआत में मनोनीत पार्षदों का सम्मान किया गया। इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की अनुमति दी गई, नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने निर्धारित सवालों से हटकर महापौर के वायरल ऑडियो पर जवाब मांग लिया। एमआईसी प्रमुख मनीष सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह प्रश्नकाल का विषय नहीं है। पहले निर्धारित सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि निगम में जनप्रतिनिधियों के बजाय भाजपा जिलाध्यक्ष का प्रभाव चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सड़क, पानी और निगम के खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में प्रतिदिन करीब 1.75 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि सप्लाई करीब 1.30 करोड़ लीटर ही हो पा रही है। सड़क और ठेकेदारों के मेंटेनेंस कार्यों पर भी सवाल उठाए गए।

महापौर ने गिनाई उपलब्धियां : विपक्ष के आरोपों पर महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वायरल ऑडियो को उन्होंने व्यक्तिगत मामला बताते हुए कहा कि इसकी शिकायत थाने में की गई है। उन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में 48 वार्डों में सड़क और नाली के कार्य स्वीकृत होने का दावा किया। पानी की समस्या को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि नमनाकला कला और बस स्टैंड क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए पानी टंकी का निर्माण शुरू कराया गया है। करीब साढ़े 9 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेविटी लाइन भी बिछाई जाएगी।

जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष : महापौर के जवाब के बाद भी वायरल ऑडियो के मुद्दे पर विपक्ष की मांग बनी रही। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि महापौर से सवाल पूछा गया है तो उसका जवाब देना होगा। दोनों पक्षों के बीच फिर हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए सभापति ने दोपहर करीब 1.20 बजे बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने के बाद भी विवाद नहीं थमा। विपक्ष ने वायरल ऑडियो पर जवाब की मांग दोहराते हुए सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया। विपक्षी पार्षदों के बाहर जाने के बाद सत्ता पक्ष ने बैठक में रखे सभी एजेंडों को बहुमत से पारित कर दिया।

एक घंटे भी नहीं चली बैठक : महापौर द्वारा दिए गए जवाबों में ऑडियो वायरल का जवाब नहीं मिलने व महापौर के आक्रोश को देखकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा कि महापौर पर सवाल खड़े हुए हैं तो उन्हें आक्रोशित होने से नहीं जवाब देना पड़ेगा। इस पर पुनः पक्ष व विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। हंगामे देखते हुए सभापति ने आधे घंटे के लिए दोपहर करीब 1.20 बजे सामान्य सभा की बैठक स्थगित कर बाहर निकल गए। इसके बाद महापौर भी बाहर चलीं गईं। आधे घंटे बाद सामान्य सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। विपक्ष ने फिर महापौर के वायरल ऑडियो पर जवाब देने की मांग रखी। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच दोबारा हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद विपक्षी पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के बहिष्कार के बाद सत्ता पक्ष ने बैठक में रखे सभी एजेंडों पर चर्चा कर उन्हें बहुमत के आधार पर पारित कर दिया। नगर निगम के इतिहास में यह पहला मौका रहा, जब सामान्य सभा की कार्यवाही प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी।

शहीदों की याद में राजपुर में निकली तिरंगा यात्रा

स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने लगाए भारत माता और अमर शहीदों के जयकारे, विधायक सहित जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल

-संवाददाता-
राजपुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से राजपुर में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। क्षेत्रीय विधायक उदेश्वरी पैकरा की उपस्थिति में आयोजित इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों,प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ राजपुर स्कूल ग्राउंड से हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर निकले छात्र-छात्राओं ने नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी चौक तक यात्रा निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अमर शहीदों के जयकारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा गांधी चौक से आगे बढ़ते हुए सरगुजा पेट्रोल पंप पहुंची और इसके बाद वापस स्कूल ग्राउंड पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। पूरे मार्ग में तिरंगे के साथ विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना।

कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह, जनपद अध्यक्ष विनय भगत,राजपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष,एसडीएम देवेंद्र प्रधान,तहसीलदार नरेंद्र कंवर, टी. करोड़ोपन अधिकारी सिमोन खेस,मनरेगा अधिकारी एम.एस. सिदार एवं थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। यात्रा के दौरान पुलिस एवं यातायात अमले ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। विद्यार्थियों की देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा ने नगरवासियों में भी उत्साह का माहौल बना दिया।

पैंथर क्लब की दोनों टीमें फाइनल में,खिताबी भिड़ंत आज

संत मदर टेरेसा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में दोनों सेमीफाइनल पेनल्टी शूटआउट से हुए तय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

नवापारा स्थित अंबिका मिशन खेल मैदान में चल रही संत मदर टेरेसा गोल्ड कप नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता-2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले रोमांचक रहे। पैंथर क्लब ए अंबिकापुर और पैंथर क्लब बी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। पहला सेमीफाइनल फुटबॉल क्लब परसोढ़ी और पैंथर क्लब ए अंबिकापुर के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ। मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें पैंथर क्लब ए ने परसोढ़ी को 5-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद शंकर प्रजापति और एलआईसी शाखा प्रबंधक अजीत तिवारी रहे। दूसरे सेमीफाइनल में पैंथर क्लब बी और सूरज क्लब तालपारा आमने-सामने रहे। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और निर्धारित समय में स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा।

पेनल्टी शूटआउट में पैंथर क्लब बी ने सूरज क्लब तालपारा को 5-4 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया। मैच के मुख्य अतिथि फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी वॉल्टर कुजूर रहे।

आज होगा खिताबी मुकाबला

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 12 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे नवापारा स्थित अंबिका मिशन खेल मैदान में पैंथर क्लब ए और पैंथर क्लब बी के बीच खेला जाएगा। फाइनल में लक्ष्य स्कूल की संस्थापक प्रभा सिंह, पार्षद गीता प्रजापति सहित नवापारा चर्च के पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

टेंट हाउस के गोदाम से एल्युमिनियम के बर्तन चोरी

छत का कराकट तोड़कर अंदर घुसे चोर, 30 गंज समेत 98 नग सामान पार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

गोधनपुर स्थित आस्था मैरिज हॉल के गोदाम से अज्ञात चोरों ने एल्युमिनियम के बर्तन समेत करीब 98 नग सामान चोरी कर लिया। टेंट हाउस संचालक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार बृजेश सरदार सरगंवा का रहने वाला है। वह गोधनपुर स्थित आस्था मैरिज हॉल को किराये पर लेकर वर्ष 2004 से राजेश टेंट हाउस संचालित कर रहा है। टेंट हाउस का सामान आस्था मैरिज हॉल के गोदाम में रखा जाता था। 7 अगस्त की दोपहर करीब 3.30 बजे संचालक गोदाम पहुंचा था। उसने हनुमान मंदिर समिति के लोगों को भंडारे के लिए कढ़ाई, कुर्सी और चौकी किराये पर दी।

डीआईजी-एसएसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस को-ऑर्डिनेशन सभाकक्ष में राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना-चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित अपराध,चालान, मर्ग, शिकायत,म्यूल अकाउंट एवं पीओएस मामलों की थानावार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने विवेचकों को प्रकरण अनावश्यक लंबित नहीं रखने,फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा NAFIS में एंट्री और गिरफ्तार आरोपियों का डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए 'मुस्कान' एवं 'तलाश' अभियान को गंभीरता से चलाने तथा बैंक,एटीएम,आभूषण दुकानों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की नियमित औचक जांच के निर्देश दिए गए। थाना आने वाले फरियादियों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनकर गुणवत्तापूर्ण समाधान,गुम मोबाइल की बरामदगी,स्थाई वारंटियों की तामीली तथा गुण्डा-निगरानी बदमाशों की सतत चेकिंग पर भी जोर दिया गया। आदतन अपराधियों के जिला बदर के नए प्रकरण तैयार करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी रितेश चौधरी, सीएसपी राहुल बंसल,डीएसपी लाइन अमृत कुजूर, एसडीओपी ग्रामीण तूल सिंह पट्टावी सहित समस्त थाना-चौकी प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर -2 जिला - सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0-202509021700027/अ-27 / 2024-25 //

//अंतिम फर्द बटवारा ईश्तहार प्रकाशन //

आवेदक ललकूराम आ. रामदुलार व अन्य,जाति रजवार,निवासी ग्राम कंचनपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम कंचनपुर स्थित खसरा नंबर 24/1, 124/1, 127/1, 167, 168/1, 171, 174/1, 336/1, 667/1, 668, 770/1, 805/1, 806, 589 / 1 कुल खसरा नंबर 13 कुल रकबा 2.909 हे0 भूमि आवेदक व अनावेदक लक्ष्मीप्रसाद आ. सत्यनारायण वगैरह व अन्य, जाति रजवार, निवासी ग्राम कंचनपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के मध्य खाता विभाजन हेतु हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा सूची एवं फर्द नक्शा का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 21/08/2026 दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 10/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार,

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण आदित्य बुधिया आ.स्व. कैलाश कुमार बुधिया, अलका बुधिया पत्नी स्व. कैलाश कुमार बुधिया, जागृति बुधिया,अदिति सागर अग्रवाल आ.स्व. कैलाश कुमार बुधिया, सभी जाति अग्रवाल निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर,जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है,कि आवेदकगण के पति/पिता कैलाश कुमार आ. रामेश्वर प्रसाद बुधिया के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर, मोहल्ला सदर रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 2573/4, 2574 / 4 रकबा क्रमशः 0.06 3/4, 0.01 1/2 एकड़ भूमि है । भूधारक कैलाश कुमार की मृत्यु दिनांक 12.06.2026 को हो गई है तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि से मृत्तक कैलाश कुमार का नाम विलोपित करते हुये स्वयं के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु मृत्तक कैलाश कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109,110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 24/ 08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 07/08/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी

12 अगस्त

स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के **प्रदेश अध्यक्ष** सरगुजा सोसायटी
फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाजसेवी एवं अधिवक्ता

डॉ. डी. के. सोनी जी

को जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनायें

विनीत : स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन (छ.ग.)

जमीन का खेल या तारीखों का कमाल? जिंदा महिला को मृत बताने वाले रिकॉर्ड ने खड़े किए बड़े सवाल

भैयाथान के राजस्व प्रकरण में 28 नवंबर 2024 से शुरू हुई कार्रवाई,पटवारी की मौका जांच,पंचनामा और मृत्यु तिथि के उल्लेख पर सवाल; दस्तावेज सही हैं तो जवाब कौन देगा?

एक ही महिला,एक ही जमीन और मौत की तारीख के अलग-अलग उल्लेख का आरोप...राजस्व विभाग की फाइलें अब खुद सवाल पूछ रही हैं...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी दफ्तरों की फाइलों की भी अपनी एक दुनिया होती है। वहां इंसान कभी जीवित होता है, कभी मृत हो जाता है,कभी उसकी जमीन उसकी रहते हुए किसी और की हो जाती है और कभी वर्षों बाद पैदा होने वाला दस्तावेज उससे भी पहले की घटना का प्रमाण बनकर सामने आ जाता है,आम आदमी के लिए यह सब सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन राजस्व विभाग की फाइलों में अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कागजों की दुनिया में सच कौन है और झूठ कौन? सूरजपुर जिले की भैयाथान तहसील से जुड़े एक भूमि प्रकरण में सामने आए दस्तावेजों ने कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए हैं। मामला ग्राम कोयलारी/करकोटी से संबंधित भूमि, खसरा नंबर 344/1 एवं 344/2, रकबा 0.16-0.16 और महिला भूमिस्वामी शैल कुमारी देवी,पति स्वर्गीय राधेश्याम दुबे से संबंधित बताया गया है। उपलब्ध तहसीली दस्तावेज में 28 नवंबर 2024 को प्रकरण शुरू किए जाने और शैल कुमारी देवी की मृत्यु 9 फरवरी 1967 बताए जाने के आधार पर उनके स्थान पर नामांतरण के लिए आवेदन किए जाने का उल्लेख है,अब सवाल यह है कि यदि दस्तावेजों में दर्ज तारीख और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया सही है तो मामला सामान्य राजस्व कार्रवाई है,लेकिन यदि शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई विसंगतियां दस्तावेजों की मूल प्रतियों से सही साबित होती हैं, तो फिर यह महज फाइल की एक गलती नहीं बल्कि गंभीर जांच का विषय बन सकता है, और यहीं से शुरू होती है 'कागजों में मौत और जमीन का जीवन' की कहानी।

28 नवंबर 2024 को खुली फाइल, फिर शुरू हुआ नामांतरण का सफर- उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 28 नवंबर 2024 को तहसील कार्यालय भैयाथान में संबंधित राजस्व प्रकरण दर्ज किया गया, आवेदन में बताया गया कि ग्राम कोयलारी की भूमि खसरा नंबर 344/1 एवं 344/2 पर राजस्व रिकॉर्ड में शैल कुमारी देवी का नाम दर्ज है, आवेदनकर्ता की ओर से यह दावा किया गया कि शैल कुमारी देवी की मृत्यु 9 फरवरी 1967 को हो चुकी है और उनकी जगह आवेदक के नाम नामांतरण किया जाए,तहसील कार्यालय की प्रक्रिया में इश्तहार प्रकाशन और हल्का पटवारी से मौका जांच कराने का निर्देश भी दर्ज है, यानी फाइल ने सरकारी नियमों के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, यहां तक सब कुछ सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जैसा दिखाई देता है, लेकिन फाइलों में असली रोमांच तब शुरू होता है जब अलग-अलग कागजों को एक साथ रखकर पढ़ा जाए।

पंचनामा और मौका रिपोर्ट— दो दस्तावेज या एक ही कहानी? शिकायतकर्ता की ओर से यह भी सवाल उठाया गया है कि पंचनामा और मौका जांच रिपोर्ट की भाषा और विवरण में अत्यधिक समानता है, अगर दोनों अलग-अलग प्रक्रिया के दस्तावेज हैं तो उनका उद्देश्य भी अलग-अलग होना चाहिए, एक में मौके की स्थिति,उपस्थित व्यक्तियों और स्थानीय सत्यापन की जानकारी हो सकती है, जबकि दूसरे में अधिकारी की जांच का निष्कर्ष हो सकता है,लेकिन अगर दोनों दस्तावेज लगभग एक ही शब्दावली में तैयार हुए हैं,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दोनों स्वतंत्र रूप से तैयार हुए या एक ही सामग्री को अलग-अलग शीर्षकों के नीचे दर्ज किया गया? फिर वही सरकारी फाइल का दर्शन सामने आता है—कागज दो हों तो क्या जांच भी दो हुई? इसका उत्तर दस्तावेज तैयार करने वाले और संबंधित अधिकारियों से ही मिल सकता है।

एक जमीन,कई सवाल और राजस्व व्यवस्था की परीक्षा- मामला सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि जमीन किसके नाम होगी, असली प्रश्न राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का है,अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का मालिक है और उसके जीवित रहते उसे मृत बताकर जमीन का नामांतरण किसी और के पक्ष में हो जाए तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक होगी,और अगर दस्तावेजों में ऐसी बात नहीं हुई है तथा सभी कार्यवाहियां नियमों के अनुरूप हुई हैं तो शिकायतों का समाधान भी दस्तावेजों की जांच से ही हो सकता है,अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में रास्ता एक ही है—निष्पक्ष जांच।

तहसीलदार की भूमिका पर भी उठेंगे सवाल- इस प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार की भूमिका इसलिए भी जांच के दायरे में आती है क्योंकि उपलब्ध दस्तावेजों में तहसीलदार कार्यालय से जारी आदेश, इश्तहार और पटवारी को मौका जांच के निर्देश मौजूद हैं,किसी भी राजस्व अधिकारी को दोषी मान लेना पत्रकारिता नहीं है,लेकिन किसी अधिकारी के आदेश से प्रक्रिया चली है तो उस प्रक्रिया की वैधानिकता पर सवाल उठाना भी पत्रकारिता का हिस्सा है, इसलिए जांच में यह देखा जाना चाहिए कि तहसीलदार के सामने कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत हुए थे,उन दस्तावेजों की सत्यता कैसे जांची गई,मृत्यु और उत्तराधिकार का सत्यापन किस स्तर पर हुआ तथा नामांतरण की प्रक्रिया में कौन-कौन से अभिलेख आधार बनाए गए।

मृत्यु के बाद जमीन खरीदने का दावा...सबसे सनसनीखेज सवाल- शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकरण में एक बेहद गंभीर दावा किया गया है कि जमीन की खरीद की तारीख और कथित मृत्यु तिथि के बीच वर्षों का अंतर है और इसी कारण यह सवाल उठता है कि क्या दस्तावेजी घटनाक्रम कालक्रम की कसौटी पर खरा उतरता है,यह दावा अगर मूल रजिस्ट्री और राजस्व दस्तावेजों से प्रमाणित होता है तो मामला असाधारण हो जाएगा,लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है,किसी दस्तावेज में तारीख का उल्लेख मात्र यह सिद्ध नहीं करता कि पूरा लेन-देन उसी तरह हुआ था जैसा शिकायत में बताया गया है,इसके लिए मूल विक्रय विलेख,पंजीयन रिकॉर्ड,मृत्यु पंजी, नामांतरण रिकॉर्ड और संबंधित समय के राजस्व अभिलेख की तुलना करनी होगी,यानी कहानी में रोमांच जितना है,जांच की जरूरत उससे कहीं ज्यादा है।

अगर कागज सही हैं तो जवाब कौन देगा,और अगर गलत हैं तो किसने बनाया?- यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक प्रश्न है,सरकारी फाइल में अगर सब कुछ सही है तो शिकायतकर्ता के सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दस्तावेज सामने रखिए,मृत्यु प्रमाण-पत्र दिखाइए,नामांतरण का आधार बताइए,पंचनामा के हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान कराइए और मामला खत्म,लेकिन यदि दस्तावेजों में विरोधाभास हैं तो फिर सवाल और गंभीर होंगे, गलत तारीख किसने लिखी? गलत जानकारी किसने दी? सत्यापन किसने किया? फाइल किसने आगे बढ़ाई? आदेश किस आधार पर हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण—अगर किसी की जमीन को गलत दस्तावेजों के सहारे दूसरे के नाम करने का प्रयास हुआ,तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा?

फाइल कहती है मौत 1967 में हुई,सवाल पूछता है रिकॉर्ड

मामले की सबसे बड़ी गांठ मृत्यु तिथि को लेकर है,तहसील कार्यालय के दस्तावेज में शैल कुमारी देवी की मृत्यु 09.02.1967 बताई गई है,यही तारीख नामांतरण आवेदन के आधार में भी दिखाई देती है,शिकायतकर्ता का आरोप है कि मौका जांच से जुड़े दस्तावेज में मृत्यु की तारीख को अलग तरीके से दर्ज किया गया,यदि मूल दस्तावेजों की जांच में यह अंतर प्रमाणित होता है तो सवाल बहुत सीधा है—एक ही महिला की मृत्यु की तारीख आखिर कितनी हो सकती है? सरकारी रिकॉर्ड में तारीख कोई साहित्यिक कल्पना नहीं होती कि लेखक की सुविधा से बदल जाए,मृत्यु की तारीख के आधार पर उत्तराधिकार तय होता है,उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण होता है और नामांतरण के बाद जमीन के अधिकार बदल सकते हैं,इसलिए यहां तारीख का अंतर यदि वास्तविक है तो वह छोटा सवाल नहीं है।

और साहब,कहानी में 'मौका जांच' भी है...

तहसीलदार कार्यालय ने हल्का पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट मांगी,इसके बाद संबंधित पटवारी द्वारा मौका जांच और पंचनामा प्रस्तुत किए जाने की बात दस्तावेजों में सामने आती है,उपलब्ध रिकॉर्ड में पंचनामा पर कई हस्ताक्षर भी दिखाई देते हैं,शिकायतकर्ता ने इस पंचनामा की तारीख, हस्ताक्षरों और उसमें दर्ज व्यक्तियों की पहचान पर सवाल उठाए हैं,अब सवाल यह नहीं कि पंचनामा पर कितने हस्ताक्षर हैं। सवाल यह है कि वे हस्ताक्षर किसके हैं और किस आधार पर किए गए? यदि जमीन ग्राम करकोटी में है तो मौके की जांच करने वाले अधिकारी ने किन ग्रामीणों से जानकारी ली? क्या सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान सत्यापित हुई? क्या उनके बयान दर्ज हुए? क्या उनके गांव और भूमि से संबंध की पुष्टि हुई? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच से मिल सकता है।

वंशावली में भी कहानी ने लिया मोड़...

मामले में एक और महत्वपूर्ण आरोप उत्तराधिकारियों की सूची को लेकर है,शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित मौका जांच और पंचनामा में शैल कुमारी देवी के उत्तराधिकार को लेकर सीमित जानकारी दर्ज की गई,जबकि उसी अवधि के अन्य राजस्व प्रकरणों में उनके अन्य कथित उत्तराधिकारियों के नाम सामने आते हैं,यदि यह तथ्य रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है—एक ही व्यक्ति की जमीन के दो अलग-अलग राजस्व मामलों में उसके वारिस अलग-अलग कैसे हो गए? राजस्व विभाग में वंशावली कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे फाइल के हिसाब से छोटा-बड़ा किया जाए। जिस व्यक्ति के नाम जमीन दर्ज है, उसके वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हैं, यह निर्धारित करने के लिए जन्म, मृत्यु, परिवार और उत्तराधिकार से जुड़े रिकॉर्ड की जांच आवश्यक होती है, इसलिए इस मामले में वंशावली की स्वतंत्र पुष्टि भी बेहद जरूरी है।

आधार कार्ड भी फाइल में है,लेकिन असली सवाल मृत्यु प्रमाण-पत्र का

उपलब्ध दस्तावेजों में शैल कुमारी दुबे का आधार संबंधी दस्तावेज भी शामिल है, जिसमें नाम, महिला का विवरण और जन्मतिथि 20 जनवरी 1947 दिखाई देती है, यह दस्तावेज अपने आप में किसी निश्चित तारीख तक जीवित होने का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता,लेकिन यह जरूर बताता है कि संबंधित महिला की पहचान से जुड़ा दस्तावेज रिकॉर्ड में मौजूद था, इसलिए जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा कि—9 फरवरी 1967 की मृत्यु का मूल प्रमाणपत्र कौन-सा था? वह कब जारी हुआ? किस रजिस्टर के आधार पर जारी हुआ? उस समय संबंधित महिला की पहचान कैसे सत्यापित हुई? और यदि मृत्यु प्रमाणपत्र बाद की तारीख में तैयार हुआ तो उसका आधार क्या था? इन सवालों के जवाब के बिना केवल कागज देखकर किसी को दोषी ठहराना भी सही नहीं होगा और कागज में दर्ज गंभीर विसंगतियों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

राजस्व विभाग के लिए यह सिर्फ एक फाइल नहीं होनी चाहिए...

ऐसे मामले में विभाग को केवल यह देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि फाइल में नोटशीट पूरी है और आदेश पर हस्ताक्षर मौजूद हैं, जरूरत इस बात की है कि पूरी प्रक्रिया की तारीखवार जांच की जाए,28 नवंबर 2024 को आवेदन से लेकर इश्तहार,पटवारी को निर्देश,मौका जांच, पंचनामा,मृत्यु संबंधी दस्तावेज,नामांतरण की कार्यवाही और उसके बाद के रिकॉर्ड तक प्रत्येक कड़ी को जोड़ा जाए,उपलब्ध दस्तावेजों में तहसील कार्यालय की प्रमाणित प्रतियों पर 13 मई 2025 की तारीख भी दिखाई देती है,यानी अब विभाग के पास यह पता लगाने का पूरा अवसर है कि फाइल में कौन-सा दस्तावेज कब आया और किस आधार पर आगे बढ़ा।

अब फैसला फाइल नहीं,निष्पक्ष जांच करेगी

इस प्रकरण में आरोप गंभीर हैं, लेकिन आरोप और अपराध सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए किसी अधिकारी,कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को बिना जांच दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा,लेकिन यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है,गंभीर दस्तावेजी सवालों को केवल शिकायत कहकर फाइल में दबा देना भी उचित नहीं होगा,मूल रिकॉर्ड निकाला जाए। जन्म-मृत्यु रजिस्टर देखा जाए,मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यता जांची जाए। संबंधित जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। पंचनामा पर हस्ताक्षर करने वालों के बयान लिए जाएं,वंशावली की स्वतंत्र पुष्टि की जाए,जरूरत हो तो संदिग्ध दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई जाए,तभी पता चलेगा कि यह राजस्व रिकॉर्ड की सामान्य त्रुटि थी, लापरवाही थी या फिर किसी सुनियोजित फर्जीवाड़े का हिस्सा,फिलहाल दस्तावेजों की फाइल एक सवाल पर अटकी है जिसे कागजों में मृत बताया गया,उसकी जमीन आखिर जिंदा किसके नाम हो गई? और शायद इस सवाल का जवाब अगली फाइल खोलेगी।

विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी आयोजन नहीं होने से कांग्रेस हमलावर

अमरजीत भगत बोले...भाजपा आदिवासी अस्मिता की विरोधी...आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक समझती है...

-संवाददाता-

सूरजपुर,11 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में शासकीय स्तर पर आयोजन नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है,जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित जिलास्तरीय पत्रकार वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया,उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को पूरी दुनिया में आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में अपनी संस्कृति,परंपरा,अस्मिता और अधिकारों का उत्सव मनाता है,लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार शासकीय स्तर पर आयोजन नहीं किया गया। अमरजीत भगत ने कहा कि वर्ष 2023 से पहले भाजपा के नेता भी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते थे,लेकिन सत्ता में आने के बाद इस दिवस को सरकारी स्तर पर मनाने से परहेज किया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी आयोजन नहीं होना आदिवासी समाज के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है, उनके मुताबिक, न तो भाजपा के नेताओं और आदिवासी नेताओं की ओर से अपेक्षित स्तर पर बधाई संदेश सामने आया और न ही राष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी समाज को संदेश दिया गया।

'वनवासी' पहचान तक सीमित करने का लगाया आरोप

भगत ने आरोप लगाया कि आरएसएस आदिवासी समाज की स्वतंत्र संस्कृति और अस्मिता को स्वीकार नहीं करना चाहती और आदिवासियों को केवल'वनवासी'की पहचान तक सीमित करना चाहती है, उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की एकता,संस्कृति,सभ्यता और अधिकारों को दुनिया के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है,इसे सरकारी स्तर पर नहीं मनाना आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी है,उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आबादी में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत है,बस्तर से लेकर सरगुजा,कांकेर,नारायणपुर,दंतेवाड़ा, बीजापुर,सुकमा,कोरबा,जशपुर,बलरामपुर और गरियाबंद तक आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति,परंपराओं और संघर्ष के माध्यम से प्रदेश की पहचान को मजबूत किया है,ऐसे में आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस को शासकीय स्तर पर महत्व नहीं दिया जाना गंभीर विषय है।

जल-जंगल-जमीन के अधिकार से समझौता नहीं

पूर्व मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता,अधिकार तथा जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा,उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस चाहे विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करें,लेकिन आदिवासी समाज अपनी पहचान और गौरव के साथ इस दिवस को मनाता रहा है और आगे भी मनाता रहेगा,भगत ने भाजपा पर आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखने का आरोप लगाया,उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और अस्मिता को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसके अधिकारों और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

कांग्रेस बोली....सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लड़ेंगे- जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं,बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान,अधिकार,संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा विषय है,उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की परंपराओं और अधिकारों की अनदेखी कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस जल,जंगल और जमीन के अधिकार तथा आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी, पत्रकार वार्ता में कांग्रेस महामंत्री संजय डोशी, उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन,इस्माईल खान, जीएस मिश्रा,प्रवेश गोयल,विद्यासागर सिंह, विनय मिश्रा,त्रिभुवन सिंह, वेदप्रकाश मिश्रा,सुनील सारथी,संतोष पावले,राजपाल कसेरा,समीर सिंह, सुनील प्रजापति,अविनाश साहू, लिवनेश सिंह और परमेश्वर राजवाड़े सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)